


## कार्यालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

क्रमांक :-प.12-3 राज/भू.रू(64)13/ १७७४

दिनांक :- 19/12/13

### — : संपरिवर्तन आदेश



यतः Primoris Properties Pvt. Ltd. 118 फस्ट फ्लोर विपुल भगोरा एम.जी. रोड गुडगांवा (हरियाणा) जरिये पवन कुमार पुत्र श्री रामकिशन चुटानी ने अपनी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना सं० एफ. 6(6)राजस्व-6/92 पार्ट/8 दिनांक 26.04.2011 एवं अधिसूचना सं० एफ.6(6)राज-6/92 पार्ट/4 दिनांक 16.01.12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निम्न प्रकार कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है :-

1- आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम एवं पति का नाम सहित पूरा पता	Primoris Properties Pvt. Ltd. 118 फस्ट फ्लोर विपुल भगोरा एम.जी. रोड गुडगांवा (हरियाणा) जरिये पवन कुमार पुत्र श्री रामकिशन चुटानी
2- क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जन जाति का सदस्य है	नहीं
3- संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील  (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल  (ग) भू-रूपान्तरित क्षेत्र  (घ) प्रत्येक खसरा नं० का संपरिवर्तित क्षेत्रफल	ग्राम अभनपुर ग्राम पंचायत खिदरपुर पंचायत समिति तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।  आराजी खसरा नम्बर 85/0.29 है०, 86/0.39 है०, 90/0.95, 96/0.62, 99/0.34, 100/0.28, 101/0.25, 102/0.30, 92/1.18 है० कुल किता 9 रकबा 4.60 है०  44000 वर्गमीटर  आराजी खसरा नम्बर 85/0.29 है०, 86/0.36 है०, 90/0.87 है०, 96/0.62 है०, 99/0.34 है०, 100/0.28 है०, 101/0.25 है०, 102/0.30 है०, 92/1.09 है० कुल किता 9 रकबा 4.40 है०
4- संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय
5- संदेय प्रीमियम की दर	28.46 रुपये प्रति वर्गमीटर।
6- संपरिवर्तन शुल्क जमा कराने की चालान की संख्या व दिनांक	चालान सं० 13 दिनांक 16.12.2013 के द्वारा राशि 1252240/- मद 0029 भू राजस्व, 800 अन्य प्राप्तियां, 07 कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन।
7- चालान की संख्या व दिनांक शास्ति कोई हो।	नहीं
8- चालान की संख्या व दिनांक ब्याज कोई हो।	नहीं
9- क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया।	नहीं



10- अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो

तिजारा ने अपने पत्रांक 1143 दिनांक 10.12.2013 द्वारा अवगत कराया है कि उपनगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर की अनापत्ति में अंकित शर्तोंनुसार खसरा नम्बर 86 रकबा 0.39 है० में से 0.03 है०, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.95 है० में से 0.08 है० व खसरा नम्बर 92 रकबा 1.18 है० में से 0.09 है० कुल किता 3 रकबा 0.20 है० भूमि सडक मार्ग हेतु निशुल्क समर्पित की जा चुकी है।

11- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहित करली जावेगी ओर आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समवृहत् हो जावेगा।
- (3) कालम सं० 4 में अंकित प्रयोजन के लिए उपयोग किया जायेगा।
- (4) प्रस्तावित खसरा नम्बर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 27.09.2013 को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एरिया कोटकासिम के अनुसार 15 मीटर ऊंचाई जोन में स्थित है। राज्य सरकार के पत्र की समस्त शर्तें मान्य होगी।
- (5) राज्य सरकार के पत्र दिनांक 27.09.2013 के अनुसार बिन्दू सं० 7 (बी) के अनुसार with in 4 Km from Project Airport project area shall be given after under taking की प्रार्थी किसी प्रकार के Health/Property नुकसान का दावा नहीं करेगा तथा शपथ पत्र लिया गया तथा राज्य सरकार के पत्र दिनांक 27.09.2013 की समस्त शर्तें मान्य होगी, तथा पत्र के अध्याधीन ही आगामी कार्यवाही की जावेगी।
- (6) अलवर-भिवाडी राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 25 से ग्राम अभनपुर को जोडने वाली ग्रामीण सडक का मार्गाधिकार 18 मीटर है। अतः उक्त सडक के मध्य बिन्दू से 9 मीटर में आने वाली प्रार्थी की भूमि आवेदक द्वारा कॉलम सं० 10 के अनुसार निशुल्क समर्पित की जा चुकी है। निशुल्क समर्पित की गई भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य, जिसमें बाउण्ड्रीवाल भी शामिल है, नहीं किया जायेगा।
- (7) भूमि में प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम 1 वृक्ष के अनुपात में बड़े-वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हो लगाने होंगे।
- (8) प्रार्थी द्वारा (संलग्न मानचित्र अनुसार) राजस्थान मॉडल भवन विनियम 2010 के अनुसार भूखण्ड पर निम्नानुसार सेटबैक रखे जावेंगे।
  - फन्ट - 18 मीटर।
  - शेष तीनों तरफ - 9-9-9 मीटर।
  - ऊंचाई - 12 मीटर।
  - एफ.ए.आर. - 1.2 मानक।
- (9) प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण हेतु भवन मानचित्र सक्षम आथोरिटी से अनुमोदित करवाने होंगे।
- (10) आवासीय योजना का ले-आउट प्लान राज्य सरकार द्वारा जारी टाउनशिप पॉलिसी 2010 व भवन विनियम 2010 के अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृत करवाया जायेगा।
- (11) मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 के प्रावधानानुसार जलमल संबंधी विभिन्न व्यवस्थाएं राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप होगी जो प्रार्थी द्वारा स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी।
- (12) प्रार्थी द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 के प्रावधानानुसार भू-गर्भ का जलस्तर बढ़ाने वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिये समुचित क्षमता का भूमिगत एक या एक से अधिक टैंक



- बनाया जायेगा तथा जल के रिसाव हेतु बोरवेलनुमा अथवा सोल्डरीट जैसी अन्य व्यवस्था की जायेगी।
- (13) प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण हेतु अन्य मापदण्ड मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 के प्रावधानानुसार रखे जायेंगे।
- (14) प्रार्थी द्वारा भवन के भूकम्प रोधी बनाने एवं अग्निशमन हेतु नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(10)नविवि/3/2003 दिनांक 24.10.2007 में उल्लेखित नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई.एस. कोड के उपबन्धों एवं निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित करनी होगी जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (15) प्रार्थी द्वारा पूर्ण भूमि को आवासीय प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य उपयोग में नहीं लिया जायेगा।
- (16) प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं होने वाले कटाव को रोकने के उचित प्रावधान किये जावेगे, जिसके लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (17) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू-भाग सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में आरक्षित रखना होगा।
- (18) राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत प्रभावित नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- (19) न्यू टाउनशिप नीति 2010 के अनुसार बाह्य विकास संबन्धी शुल्क राज्य सरकार के निर्देशानुसार जमा कराने हेतु बाध्य रहेंगे।
- (20) प्रार्थी द्वारा प्लॉटेड डवलपमेन्ट हेतु प्रस्तावित स्थल की नियमानुसार अधिकतम 60 प्रतिशत भूमि आवासीय भूखण्डों हेतु उपयोग में ली जावेगी।

जिला कलक्टर,  
अलवर  
दिनांक :- 14/11/13

क्रमांक :- प.12-3 राज/भूरू(64)13/ 9778-86

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01- सम्भागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
- 02- मुख्य नगर नियोजक (एन0सी0आर0), नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
- 03- उप नगर नियोजक, अलवर।
- 04- अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड (द्वितीय) अलवर।
- 05- प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलक्ट्रेट अलवर।
- 06- तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर।
- 07- सरपंच, ग्राम पंचायत खिदरपुर पंचायत समिति तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।
- 08- Primoris Properties Pvt. Ltd. 118 फस्ट फ्लोर विपुल भगोरा एम.जी. रोड गुडगांवा (हरियाणा) जरिये पवन कुमार पुत्र श्री रामकिशन चुटानी।
- 09- रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,  
अलवर

**कार्यालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)**

क्रमांक :-प.12-3 राज/भू.रू(83)08/10047

दिनांक :- 2.12.11

**--- : संपरिवर्तन आदेश :---**

यतः प्रार्थी आदिनाथ प्रोपर्टी प्रा0लि0डी0-74 II फलोर होज खास नई दिल्ली ने अपनी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उप शासन सचिव राजस्व (भूमि-रूपान्तरण) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 2(165)राजस्व/भू0रू0/2008 दिनांक 06.06.2011 द्वारा ग्राम पावटी, पिपलाना, अभनपुर तहसील तिजारा स्थित खातेदारी भूमि रकबा 26.72 है0 (105 बीघा 13 बिस्वा) में से 76 बीघा 16 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु प्राप्त स्वीकृति के अनुसार उक्त नियमों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के साथ संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं:-

1- आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम एवं पति का नाम सहित पूरा पता	प्रार्थी आदिनाथ प्रोपर्टी प्रा0लि0डी0-74 II फलोर होज खास नई दिल्ली।
2- क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जन जाति का सदस्य है	नहीं।
3- संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील  (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल	ग्राम पावटी, पिपलाना, अभनपुर ग्राम पंचायत पावटी, पिपलाना, अभनपुर तहसील तिजारा।  वाके ग्राम पावटी तह0 तिजारा के आराजी खसरा नम्बर 1098/1219/0.13, 1099/0.48, 1100/0.49, 1101/1.59, 1102/0.68, 1103/0.56, 1104/0.59, 1105/1.39, 1110/1224/0.18, 1112/1225/0.28 कुल कित्ता 10 रकबा 6.37 है0, ग्राम पिपलाना के आराजी खसरा नम्बर 1/0.49, 2/0.48, 3/0.91, 4/1.04, 13/1.11, 14/0.27, 15/0.29, 16/1.01, 17/0.95, 18/0.61, 19/0.57 कुल कित्ता 11 रकबा 7.73 है0 एवं ग्राम अभनपुर के आराजी खसरा नम्बर 78/0.43, 79/0.33, 80/0.38, 81/0.37, 82/0.30, 83/0.33, 84/0.33, 97/0.49, 98/0.27 कुल कित्ता 9 रकबा 3.23 है0 कुल कित्ता 30 रकबा 17.33 है0।
(ग) भू-रूपान्तरित क्षेत्र	16.89 है0
(घ) प्रत्येक खसरा नं0 का संपरिवर्तित क्षेत्रफल	वाके ग्राम पावटी तह0 तिजारा के आराजी खसरा नम्बर, 1098/1219/0.13, 1099/0.48, 1100/0.41, 1101/1.51, 1102/0.63,





	1103/0.51, 1104/0.55, 1105/1.30, 1110/1224/0.18, 1112/1225/0.23 कुल किता 10 रकबा 5.93 है0 वाके ग्राम पिपलाना के तह0 तिजारा खसरा नम्बर 1/0.49, 2/0.48, 3/0.91, 4/1.04, 13/1.11, 14/0.27, 15/0.29, 16/1.01, 17/0.95, 18/0.61, 19/0.57 कुल किता 11 रकबा 7.73 है0 एवं वाके ग्राम अभनपुर तह0 तिजारा खसरा नम्बर 78/0.43, 79/0.33, 80/0.38, 81/0.37, 82/0.30, 83/0.33, 84/0.33, 97/0.49, 98/0.27 कुल किता 9 रकबा 3.23 है0 कुल किता 30 रकबा 16.89 है0
4- संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय (कालोनी) प्रयोजनार्थ
5- संदेय प्रीमियम की दर	15.01 रूपये प्रति वर्गमीटर
6- संपरिवर्तन शुल्क जमा कराने की चालान की संख्या व दिनांक	चालान दिनांक 21.11.11 राशि 24,96,596/- मद 0029 भू राजस्व, 800 अन्य प्राप्तियां, 007 कृषि भूमि को आबादी में संपरिवर्तन एवं चालान दिनांक 21.11.11 राशि 24,96,596/- मद पीडी अकाउन्ट प्रथम ग्राम पंचायत पावटी, पिपलाना, अभनपुर तहसील तिजारा।
7- चालान की संख्या व दिनांक शास्ति कोई हो।	नहीं
8- चालान की संख्या व दिनांक ब्याज कोई हो।	नहीं
9- क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया।	नहीं
10- अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो	तहसीलदार तिजारा ने अपने पत्रांक 3542 दिनांक 18.11.11 द्वारा अवगत कराया है कि उप नगर नियोजक (एनसीआर) जयपुर की अनापत्ति में अंकित शर्तानुसार ग्राम अभनपुर के आराजी खसरा नम्बर 1100/0.49 है0 में से 0.08 है0, खसरा नम्बर 1104/0.59 है0 में से 0.04 है0, खसरा नम्बर 1105/1.39 है0 में से 0.09 है0, खसरा नम्बर 1112/1225/0.28 है0 में से 0.05 है0, खसरा नम्बर 1101/1.59 है0 में से 0.08 है0, खसरा नम्बर 1102/0.68 है0 में से 0.05 है0, खसरा नम्बर 1103/0.56 में से 0.05 है0 कुल किता 7 रकबा 0.44 है0 भूमि सडक मार्ग हेतु निशुल्क समर्पित की गयी।
11- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अधीन होगा:- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा	



प्राप्त किए बिना अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहित करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समवृहत् हो जावेगा।

(3) कालम सं० 4 में अंकित प्रयोजन के लिए उपयोग किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत भूमि को प्रक्रियाधीन सब रीजनल प्लान में आवासीय गतिविधियों हेतु दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रार्थी द्वारा एकीकृत टाउनशिप मय समस्त आधारभूत सुविधाओं के विकसित किया जाना होगा तथा टाउनशिप का रख रखाव प्रार्थी के निजी स्तर पर किया जायेगा। योजना में विद्यालय, चिकित्सा एवं सामुदायिक सुविधाएं भी नियमानुसार प्रार्थी विकसित किया जाना अनिवार्य होगा। योजना का विस्तृत ले आउट प्लान का तकनीकी अनुमोदन इस कार्यालय से करवाना होगा।

(6) प्रश्नगत स्थल को यदि भविष्य में नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो स्थल पर बहुमंजिला भवन निर्माण अनुज्ञेय होगा, अन्यथा स्थल पर कम ऊंचाई एवं कम घनत्व के भवन अनुज्ञेय होंगे।

(7) प्रार्थी द्वारा समस्त आन्तरिक एवं ब्राह्य विकास हेतु वांछित आधारभूत सुविधाएं यथा जल वितरण, सीवरेज, ड्रेनेज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, वेस्ट वाटर री-साईकलिंग आदि अपने निजी स्तर पर स्वयं के खर्च पर ही विकसित की जानी होगी एवं इनका रख रखाव स्वयं के स्तर/व्यय से किया जावेगा।

(8) योजना में सघन वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय अलवर के पत्रांक एफ-21/डी-2811 दिनांक 13.10.08 के अनुसार एस.एच. 25 (अलवर-भिवाडी) सडक के किमी 202 में राईट साईड पर स्थित है। अतः Recommended Standard for Land Width के अनुसार ROW एस.एच. के लिये 60.00 मीटर होने पर सडक की मध्य रेखा से 30.00 मीटर दूरी सडक हेतु जो भूमि निशुल्क समर्पण की गई है, में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, जिसमें बाउण्ड्रीवाल भी शामिल है। लेकिन भवन निर्माण सडक के मध्य से 30.00 मीटर भूमि मार्गाधिकार हेतु समर्पण की गई है, के पश्चात 30 मीटर बफर जोन छोड़े जाने कि पश्चात ही किया जावे। इसी प्रकार अलवर-भिवाडी रोड से अभनपुर जोडने वाली सडक ग्रामीण सडक की श्रेणी में आती है जिसका मार्गाधिकार सडक के मध्य रेखा से 9.00 मीटर होने के कारण जो भूमि निशुल्क समर्पण की गई है, उस पर भी कोई निर्माण नहीं किया जायेगा, जिसमें बाउण्ड्रीवाल भी शामिल है। लेकिन भवन का निर्माण 12.50 मीटर की दूरी पर ही किया जावे शेष रही जमीन में मालिक द्वारा पेड पौधे लगाये जा सकते हैं।

(10) प्रार्थी की प्रस्तावित भूमि के समीप स्थित नाले (यदि कोई हो तो) के लिए राजस्थान नगरीय भवन विनियम 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार आवश्यक भूमि छोड कर निर्माण किया जाना होगा।

(11) प्रार्थी द्वारा वाहनों की पार्किंग राजस्थान नगरीय भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार भू-गर्भ का जलस्तर बढ़ाने हेतु वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिये समुचित क्षमता का भूमिगत एक या एक से अधिक टैंक बनाया जावेगा तथा जल के रिसाव हेतु बोरवेलनुमा अथवा सोकपीट (Sock Pit) जैसी अन्य व्यवस्था की जायेगी।

(12) प्रार्थी द्वारा आवासीय योजना से होने वाले गन्दा पानी, ठोस कचरा एवं अन्य अपशिष्ट का निष्पादन स्वयं के स्तर पर करना होगा। राजस्थान नगरीय भवन विनियम 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार जलमल संबंधी विभिन्न व्यवस्थाएं राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप होगी जो प्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

(13) भवन निर्माण हेतु अन्य राजस्थान नगरीय भवन विनियम 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार रखे जायेगे।

- (14) प्रार्थी द्वारा भवनों को भूकम्परोधी बनाने एवं अग्नि शमन हेतु नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(10)नविवि/3/2003 दिनांक 24.10.07 में उल्लेखित नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई.एस. कोड के उपबन्धों एवं निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित करनी होगी, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (15) प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग आवासीय के अतिरिक्त अन्य उपयोग में नहीं लिया जायेगा। प्रस्तावित स्थल का उपयोग आवासीय के अलावा अन्य उपयोग में लिये जाने की स्थिति में रूपान्तरण की कार्यवाही स्वतः ही निरस्त हो जायेगी जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगा।
- (16) यदि प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- (17) निकटस्थ नगर पालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराया जा सकेगा।
- (18) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू-भाग सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में आरक्षित रखना होगा।
- (19) राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत प्रभावित नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- (20) न्यू टाउनशिप नीति 2010 के अनुसार बाह्य विकास संबन्धी शुल्क राज्य सरकार के निर्देशानुसार जमा कराने हेतु बाध्य रहेंगे।



क्रमांक :-प.12-3 राज/भू.रू(83)08/ 10048-56

दिनांक :- 2.12.11

जिला कलक्टर,  
अलवर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01- सम्भागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
- 02- उप शासन सचिव राजस्व (भूमि-रूपान्तरण) विभाग, जयपुर के पत्रांक प. 2(165)राजस्व/भू0रू0/2008 दिनांक 06.06.2011 के क्रम में सूचनार्थ।
- 02- मुख्य नगर नियोजक (एन0सी0आर0), नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
- 03- उप नगर नियोजक, अलवर।
- 04- अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय अलवर।
- 05- प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलक्ट्रेट अलवर।
- 06- तहसीलदार, तिजारा।
- 07- सरपंच, ग्राम पंचायत पावटी, पिपलाना, अभनपुर पंचायत समिति तिजारा तहसील तिजारा।
- 08- प्रार्थी आदिनाथ प्रोपर्टी प्रा0लि0 डी0-74 II फ्लोर होज खास नई दिल्ली।
- 09- रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,  
अलवर